प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 15 जून, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी पंकज कुमार पुत्र श्री दिनेश बाबू, निवासी जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-5535/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-08-02-2023) दिनांक-20-02-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध पंकज कुमार पुत्र श्री दिनेश बाबू, जो वैरा, थाना-बीसलपुर, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक-10-03-2003 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अजीत कुमार पाण्डेय नामक लडके का अपहरण कर फिरौती में रूपये-5.00 लाख की मांग की गयी। रूपये 2.5 लाख देने गये रामगोपाल नामक व्यक्ति से रूपये छीनकर अजीत कुमार पाण्डेय नामक लड़के की हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-795/2003 में भा0द0वि0 की धारा-201, 384, 364, 302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/न्यायालय सं0-1, पीलीभीत के आदेश दिनांक 21-07-2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.06.2022 तक 14 वर्ष, 11 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 06 माह, 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 06.06.2022 तक 14 वर्ष, 11 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 06 माह, 16 दिन की भोगी गयी लम्बी सजावधि, जेल आचरण संतोषजनक होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति व निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्द की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस आधार एवं तथ्यात्मक आख्या अंकित न किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पंकज कुमार पुत्र श्री दिनेश बाबू को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी पंकज कुमार (बन्दी संख्या-44735) पुत्र श्री दिनेश बाबू, निवासी जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई स्वीकार किये जाने की संस्तुति को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 मे निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-363/2023/405/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मिसलेनियस एप्लीकेशन सं0-2169/2022 राजकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य अन्तर्गत रिट याचिका (क्रि0) सं0-36/2022 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-02-2023 के समादर में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-363/2023/405/22-2-2023-17(452)/2023

दिनांक 15 जून, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध पंकज कुमार पुत्र श्री दिनेश बाबू, जो वैरा, थाना-बीसलपुर, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक-10-03-2003 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अजीत कुमार पाण्डेय नामक लडके का अपहरण कर फिरौती में रूपये-5.00 लाख की मांग की गयी। रूपये 2.5 लाख देने गये रामगोपाल नामक व्यक्ति से रूपये छीनकर अजीत कुमार पाण्डेय नामक लड़के की हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-795/2003 में भा0द0वि0 की धारा-201, 384, 364, 302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/न्यायालय सं0-1, पीलीभीत के आदेश दिनांक 21-07-2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.06.2022 तक 14 वर्ष, 11 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 06 माह, 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 06.06.2022 तक 14 वर्ष, 11 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 06 माह, 16 दिन की भोगी गयी लम्बी सजावधि, जेल आचरण संतोषजनक होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति व निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्द की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस आधार एवं तथ्यात्मक आख्या अंकित न किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पंकज कुमार पुत्र श्री दिनेश बाबू को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई स्वीकार किये जाने की संस्तुति को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 मे निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।